राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 10(9) ग्रावि/नरेगा/सहायक कार्यक्रम अधि./2010 पार्ट–1

जयपुर दिनांक : 31 JAN 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजना में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने के कम में।**
प्रसंगः **इस विभाग के पत्र 12(5)ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/2010/पार्ट–1 दिनांक 26.12.12**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा पंचायती राज विभाग में पदों की भर्ती में महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत संविदा कार्मिकों को अनुभव का प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में दिशा–निर्देश दिये गये थे। उक्त दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त अनुभव का प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में निम्न दिशा–निर्देश और दिये जाते हैं :–

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना में वर्ष 2008 में संविदा पर कार्यक्रम अधिकारी लिये गये थे। सितम्बर, 2009 में कार्यक्रम अधिकारियों के स्थान पर सहायक कार्यक्रम अधिकारी संविदा पर लगाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के विरूद्ध पूर्व में संविदा पर कार्यरत कार्यक्रम अधिकारियों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर दी। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.01.2011 द्वारा निर्णय दिया कि सहायक कार्यक्रम अधिकारी के संविदा पद पर भर्ती के समय इन कार्यक्रम अधिकारियों के चयन पर भी विचार किया जावे तथा तब तक इन्हें नहीं हटाया जावे। इस निर्णय की पालना में विभाग के पत्र दिनांक 29.04.2011 एवं 29.06.2011 द्वारा सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पदों पर भर्ती के दिशा–निर्देश जारी किये गये। इसके अनुसार कई जिलों में सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर भर्ती के समय इनको अवसर दिया जा चुका है, लेकिन कई जिलों में ये अभी भी उक्त निर्णय के आधार पर कार्यक्रम अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। अतः इस संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि जो कार्यक्रम अधिकारी न्यायालय के निर्णय की पालना में सहायक कार्यक्रम अधिकारी के संविदा पद पर चयनित हो गये हैं तथा निरन्तर रूप से अभी भी कार्यरत हैं, उनके कार्यानुभव में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में किये गये कार्य की अवधि को भी शामिल किया जावे। जहां पर सहायक कार्यक्रम अधिकारियों के संविदा पद पर भर्ती नहीं की गई है तथा पूर्व में कार्यरत कार्यक्रम अधिकारी न्यायालय के निर्णय के आधार पर अभी भी कार्यक्रम अधिकारी के पद पर ही कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें भी सहायक कार्यक्रम अधिकारी के नियमित पद पर भर्ती में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में किये गये कार्य की अवधि का लाभ अनुभव के रूप में दिया जावे।
2. इस विभाग के पत्र दिनांक 26.12.2012 की बिन्दु सं. 8 में यह निर्देश दिये गये थे कि संविदा कार्मिकों को अनुमत आकस्मिक अवकाश के अलावा अनुपस्थित अवधि को अनुभव की अवधि में शामिल नहीं किया जावे। इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो संविदा कार्मिक पूर्व में अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन या अनुशासनहीनता के अलावा अन्य कारण से हटा दिये गये थे या किसी भी कारण से सेवा में नहीं रहे हैं तथा अब न्यायालय के स्थगन/निर्णय या अन्य प्रशासनिक आदेश के आधार पर पुनः संविदा सेवा पर ले लिये गये हैं तथा वर्तमान में कार्यरत

हैं तो जिस अवधि के दौरान वे सेवा में नहीं रहे हैं, उस अवधि के अलावा शेष अवधि को अनुभव में शामिल किया जावे।

3. यदि किसी संविदा कार्मिक ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में राज्य में एक या एक से अधिक जिलों में एक या अलग–अलग पदों पर कार्य किया है तथा वर्तमान में योजना में कार्यरत है, तो उसके द्वारा किसी भी पद पर किसी भी जिले में किये गये कार्य को उसके अनुभव में शामिल किया जाएगा। उसे अनुभव का लाभ उसके वर्तमान संविदा पद के लिए की जा रही नियमित पद हेतु भर्ती के लिए ही दिया जाएगा।
4. विभाग के पत्र दिनांक 26.12.2012 के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण–पत्र के प्रारूप की पांचवी पंक्ति में **"संविदा के आधार पर"** के बाद शब्द **"निरन्तर रूप से"** को हटाया जाता है। अनुभव प्रमाण–पत्र के शेष वाक्य यथावत रहेंगे।

भवदीय,

**(सी.एस. राजन)**
**अति. मुख्य सचिव**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. अति. आयुक्त प्रथम/द्वितीय, ईजीएस जयपुर।
6. परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस, जयपुर।
8. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

**अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस**